राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—988/2024

कपिल कुमार शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशा.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, 2—सिविल लाईन्स, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, डिविजन कार्यालय, पीएचईडी, राजगढ, अलवर।
4. सहायक अभियंता, नगर सब—डिविजन—।। कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर।
5. प्रमिला वशिष्ठ, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजगढ डिविजन, राजगढ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 06.08.2024

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजातशत्रु मीनाएवं श्री हिमांशु काला, अभिभाषक
निर्जी प्रत्यर्थी संख्या—5 की ओर से : श्री निशान्त शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण, जो वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, का स्थानांतरण खण्ड राजगढ़, अलवर से नगर उपखण्ड—द्वितीय, अलवर किया गया था। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी प्रमिला वशिष्ठ को खण्ड राजगढ, अलवर स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है अपीलार्थी का स्थानांतरण खण्ड राजगढ, अलवर में आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा किया गया था। उसके बाद अल्प अवधि में ही अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश से खण्ड राजगढ़, अलवर से नगर उपखण्ड—द्वितीय, अलवर कर दिया गया, जो उचित नहीं है।
2. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को वर्ष 2019 से 2024 तक मुख्य रूप से खण्ड राजगढ़, अलवर में पदस्थापित रहा है। केवल एक

बार अपीलार्थी का स्थानांतरण कटूम्बर हुआ था, जहां से पुनः अपीलार्थी का स्थानांतरण राजगढ, अलवर हो गया था। अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्प अवधि में होना नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि स्थानांतरण आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने खण्ड राजगढ़, अलवर में कार्यग्रहण भी कर लिया है।

3. उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा दिनांक 15.03.2024 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति को रखते हुए अपीलार्थी को चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व के स्थान पर ही पदस्थापित रखा गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी खण्ड राजगढ़, अलवर में ही पदस्थापित है। हम पाते हैं कि वर्तमान में अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों एक ही स्थान खण्ड राजगढ, जिला अलवर में पदस्थापित हो गये हैं। वर्तमान में जिस स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को चुनौती दी गई है, उसे पारित हुये 4 माह से अधिक का समय हो चुका है और अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों 4 माह से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं।

4. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित के दृष्टिगत अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में नियमानुसार नये सिरे से आदेश पारित करेंगे, ताकि एक ही स्थान पर दो कार्मिकों के पदस्थापित होने की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका निवारण किया जा सकें। इस संबंध में आदेश 2 सप्ताह में पारित किया जावें।

5. दोनों पक्षकार प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)